न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 644–दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–02–2002 पारित व्दारा – अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर – प्र0क0 191–बी121/2000–01 निगरानी

1– लक्ष्मण पुत्र रामलाल यादव
2– बालचन्द्र पुत्र रामलाल यादव
दोनों निवासी ग्राम पुखरेला
तहसील बिजावर जिला छतरपुर ––आवेदकगण

विरूद्ध

भदईया पुत्र स्व. प्यारेलाल यादव
ग्राम पुखरेला तहसील बिजावर ––––अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री नितेन्द्र सिंघई)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 5–1–2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 191–बी121/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–2–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी विजावर व्दारा प्रकरण क्रमांक 41/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 30–9–98 के विरूद्ध आवेदकगण ने अतिरिक्त कमिश्नर,

सागर संभाग, सागर के न्यायालय में पुनरीक्षण क्रमांक 191-बी 121/2000-01 प्रस्तुत की गई। पेशी 9-11-2000 को प्रकरण अदम पैरबी में खारिज हुआ, इस आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदक लक्ष्मण पुत्र रामलाल ने अपर आयुक्त के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया तथा आवेदन में उल्लेख किया कि हैजा की बीमारी के कारण वह पेशी पर अनुपस्थित रहा है। इस आवेदन पर अपर आयुक्त ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 7-2-2002 पारित किया तथा आवेदक लक्ष्मण पुत्र रामलाल व्दारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर यह निर्विवाद है कि आवेदकगण एंव उनके अभिभाषक सूचना उपरांत पेशी 7-1-2000 से निरन्तर 9-11-2000 तक कुल 7 पेशियों पर अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं एंव हैजा की बीमारी बताते हुये केवल लक्ष्मण व्दारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अदम पैरबी आदेश दिनांक 9-1-2000 को निरस्त कर प्रकरण पुर्नस्थापित करने की मांग की गई है जबकि अपर आयुक्त के समक्ष निगरानीकर्ता दो आवेदक लक्ष्मण एंव वालचन्द्र रहे हैं एंव उनकी ओर से नियुक्त अभिभाषक भी पैरवीकर्ता रहे हैं। बीमारी के पुष्टिकरण में लक्ष्मण ने चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने

आदेश दिनांक 7-2-2002 से व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है।

4/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि अदम पैरबी आदेश के पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त होने पर क्या आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी प्रचलन-योग्य है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा-35(4) - जहां उपधारा (3) के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामन्जूर कर दिया जाता है, वहां व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फायल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी व्दारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 35(3) - 35 (4) - एकपक्षीय आदेश निरस्त करने हेतु आवेदन नामन्जूर हुआ, धारा 35 (4) के अधीन अपील होगी - पुनरीक्षण नहीं होगा।

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण को अपील में बदलने हेतु किसी प्रकार का आवेदन भी नहीं दिया है और तर्को के दौरान भी तदाशय की मांग नहीं की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 191-बी121/2000-01 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 7-2-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रचलन-योग्य न होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर